पत्रांक- 04/वि0-1-135/2016 (अंश)-1040/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची -834002

संकल्प

विषयः- राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need based) सहायक प्राध्यापकों के मानदेय बढ़ोतरी, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित/बैकलॉग नियुक्ति तक पैनल का अवधि विस्तार किये जाने तथा Guest Faculty की सेवा प्राप्त करने के संबंध में।

राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने एवं सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio; GER) दर में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के संकल्प संख्या-516, दिनांक-02.03.2017 द्वारा राजकीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर तत्कालिक व्यवस्था के तहत घंटी आधारित (Need based) शिक्षकों की नियुक्ति संविदा पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की गई है।

उक्त शिक्षकों को स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षा में पढ़ाई हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों के लिए तय अहर्ता के आधार पर सेवा में रखा गया है। ऐसे शिक्षकों को प्रति घंटी 600/-रू० की दर से एवं अधिकतम 36,000/- रू० प्रतिमाह भुगतान किये जाने का प्रावधान है। घंटी आधारित शिक्षकों के द्वारा मासिक मानेदय में वृद्धि करने तथा न्यूनतम Classes की संख्या निर्धारित करने का अनुरोध किया जाता रहा है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या–516 दिनांक–02.03.2017 में निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (UG/PG कक्षाएँ) में आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों को यूजीसी द्वारा निर्धारित अंगीभूत महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक के बेसिक सैलरी रु० 57,700/- प्रतिमाह के समतुल्य मानदेय होगा।

(ii) आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों को प्रति सप्ताह औसतन 16 Classes लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या की जिम्मेवारी होगी कि आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों को 16 Classes प्रति सप्ताह के अनुसार अनिवार्य रुप से Classes आवंटित किया जाय। संस्थान की समय सारणी इसी अनुसार बनायी जाए।

(iii) यदि आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों के द्वारा उन्हें आवंटित Classes से कम Class लिया जाता है, तो उनके द्वारा लिए गये कुल Classes के अनुपात में मासिक मानदेय राशि के भुगतान में प्रति Class रु० 900/- की कटौती की जायेगी।

(iv) आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों के लिए Classes की गणना निम्नवत की जाएगी-

a) One Teaching Class = 1 Hour

b) One Non-teaching Class = 2 Hours

Non-teaching Classes में कर्मशाला, प्रयोगशाला, Invigilation (Internal Examination), Sessional कार्य, Tutorial Class, Remedial Class तथा संस्थान के अन्य गैर-शैक्षणिक कार्य जैसे IQAC, NAAC, AISHE इत्यादि से संबंधित कार्यों में इनकी सहभागिता के आधार पर मासिक मानदेय देय होगा।

(v) ग्रीष्मावकाश एवं अन्य Vacations के दौरान नियमित कक्षाएँ स्थगित रहती है। अतः इस अवधि में उपर्युक्त गैर-शैक्षणिक कार्य कराया जायेगा तथा तदनुसार मानदेय देय होगा। प्राचार्य/प्राचार्या सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीष्मावकाश एवं अन्य Vacations के दौरान भी

1040
11/05/23

आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों को प्रति सप्ताह 16 Classes के लिए उपयुक्त गैर-शैक्षणिक कार्य लिया जाय।

(vi) आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक प्रत्येक माह मानदेय भुगतान से संबंधित विपत्रों को अपने महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या को सीधे समर्पित करेंगे तथा संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या अपने स्तर से उक्त विपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

(vii) संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या की यह जिम्मेवारी होगी कि आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन पूर्ण क्षमता के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर सके। प्राचार्य/प्राचार्या सुनिश्चित करेंगे कि अन्य नियमित सहायक प्राध्यापकों की भाँति आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों को भी सम्मान मिले तथा सहायक प्राध्यापकों की गरिमा बरकरार रहे।

(viii) संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या इन सहायक प्राध्यापकों के द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक कार्य का सतत् अनुश्रवण करेंगे तथा सहायक प्राध्यापकों के द्वारा शैक्षणिक कार्य नहीं करने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(ix) वर्तमान में विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों के नाम को संशोधित (Rename) करते हुए आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक कहा जायेगा।

(x) विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need based) सहायक प्राध्यापकों के पैनल का अवधि विस्तार सामान्यतः 06 माह के लिए किया जाता रहा है। इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद WP(S) No. 548/2021, WP(S) No. 524 of 2021 एवं WP(S) No. 628 of 2021 में सरकार द्वारा दायर प्रतिशपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है कि, "Para-11 ... there is no plan to replace one set of Adhoc teachers by a new set of fresh Adhoc teachers"

उक्त के आलोक में उक्त सहायक प्राध्यापकों के पैनल का अवधि विस्तार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के नियमित/बैकलॉग नियुक्ति होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) मान्य होगा।

यदि नियमित/बैकलॉग नियुक्ति के उपरान्त कुछ पद रिक्त रह जाते हैं तो रिक्त पदों पर किन आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों की सेवा बरकरार रखी जाय, के सम्बन्ध में निर्णय उनके योगदान की तिथि के क्रमानुसार किया जायेगा। जिन आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों के योगदान की तिथि पहले की होगी, उन्हें वरीयता दिया जायेगा। यदि योगदान की तिथि समान (Similar) होगी तो अधिक उम्र वाले को वरीयता दिया जायेगा। यदि फिर भी deadlock हो तो अंग्रेजी में नाम के वर्ण के क्रमानुसार वरीयता निर्धारित किया जायेगा।

(xi) संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या इन आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों के द्वारा किये जा रहे शैक्षणिक कार्यों का सतत अनुश्रवण करेंगे एवं सहायक प्राध्यापकों का UGC द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक कार्य असंतोषजनक रहने अथवा अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से अनुशंसा करेंगे। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या की अनुशंसा के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा कुलसचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर जाँच करते हुए कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उक्त आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक की सेवा समाप्त की जा सकती है जिसके सम्बन्ध में अंतिम निर्णय संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा लिया जायेगा।

(xii) विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में ऐसे सृजित पद जो रिक्त हैं/नवसृजित पद जिन पर नियमित नियुक्ति लम्बित है, उन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए जा सकेंगे।

3. उपर्युक्त संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

4. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 516 दिनांक–02.03.2017 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

5. Guest Faculty:

विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण प्रदान करने के दृष्टिकोण से Guest Faculty की सेवा प्राप्त की जाएगी। इसके लिए UGC के पत्रांक- F.25-1/2018 (PS/MISC) dated 28th January, 2019 के दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा ।

6. प्रस्ताव पर दिनांक–27.04.2023 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या 02 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

10.5.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/वि0-1-135/2016 (अंश)-1040/ राँची, दिनांक– 11/05/2023

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10.5.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/वि0-1-135/2016 (अंश)-1040/ राँची, दिनांक– 11/05/2023

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.5.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/वि0-1-135/2016 (अंश)-1040/ राँची, दिनांक– 11/05/2023

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी ई–ऑफिस परियोजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची/जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.5.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

R.Rau